

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-18/2015-259 (आवंटन)/कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

बिहार, पटना।

विषय :

बिहार राज्य बीज निगम को बीज भण्डारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रु० (चौवन करोड़ बाईस लाख रु०) की सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से सामान्य वर्ग के लिए तत्काल 1495.66 लाख रु० (चौदह करोड़ पन्चानवे लाख छियासठ हजार रु०) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹14,95,66,000 (चौदह करोड़ पन्चानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1299 दिनांक-09.03.2016 द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीज भण्डारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रु० (चौवन करोड़ बाईस लाख रु०) की सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से सामान्य वर्ग के लिए तत्काल 1495.66 लाख रु० (चौदह करोड़ पन्चानवे लाख छियासठ हजार रु०) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹14,95,66,000 (चौदह करोड़ पन्चानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹14,95,66,000 (चौदह करोड़ पन्चानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00- लघु शीर्ष-103-बीज-मांग संख्या-1 उपशीर्ष- 0109-बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड-P2401001030109, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 82 विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-:5294 वि. (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

259 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

259 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बीज ग्राम योजना, कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रिकरण कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) /उप निदेशक (शष्य) बीज बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र /सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 259 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।